FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

भगवतीकंवर बनाम गोरीशंकर आदि

किस्म –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा GCMS No.- 2023/154 मुकदमा नं – 88/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
14.09.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री कैलाश गुलेरिया उपस्थित दौरान बहस प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि खसरा संख्या 83/40 रकबा 1.7829 हैक्टेयर रोही ग्राम नरबदाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण बेचान एवं रहनवय करना चाहते हैं। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अप्रार्थीगण की ओर से भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द–बुर्द बेचान नहीं करे। इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसगंत–विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह जाहिर है कि वादगत भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादगत भूमि के विभाजन हेतु प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखते कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो। गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा खसरा संख्या 83/40 रकबा 1.7829 हैक्टेयर रोही ग्राम नरबदाबास तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की भूमि को आज दिनांक की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी तारीख पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मानकर एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय में प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधान[illegible] सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारी[illegible] विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार[illegible] का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब [illegible] जावे। पत्रावली दिनांक 06.10.2023 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुए
06.10.23	पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दावा में वकालतनामा पेश हुआ पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब T। दिनांक 07/12/2023 को पेश हो।	
07 12/23	अभिभाषक संघ ने आज कार्य स्थगन की सूचना दी है पी०ओ० साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 22/12/2023 को पेश हो।	
22 12/23	पक्षकारान के अभिभावक उपस्थित पी.ओ.साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आईदा कार्यवाही हेतु दिनांक 04/01/24 को पेश हो।	
04 01/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तलबी व जवाब T। दिनांक 15/03/2024 को पेश हो।	
11 03/24	प्रार्थी/नी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी में लेने हेतु पेश किया जिस पर मिसल आज ही पेशी में ली गई साथ ही एक प्रार्थना-पत्र T। विड्रॉ करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी/नी अधिवक्ता को सुना गया। मुताबिक प्रार्थना-पत्र विड्रॉवल प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़	मुन्सरिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.06 15:41:32 IST
Reason: SelfAttested